pभारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3079
दिनांक 07 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

ग्रामीण विद्युतीकरण की स्थिति

†3079. श्रीमती गनीबेन नागाजी ठाकोरः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश के गांवों और घरों का शत प्रतिशत विद्युतीकरण कर लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि नहीं, तो ग्रामीण विद्युतीकरण की वर्तमान स्थिति क्या है और इस कमी को पूरा करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(ग) विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत सौर और पवन जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए क्या पहल की गई है; और

(घ) विद्युत वितरण अवसंरचना में सुधार और घाटे को कम करने के लिए पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के अंतर्गत कितनी प्रगति हुई है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) और (ख) : भारत सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस), प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) आदि स्कीमों के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में सहायता की है, ताकि सभी घरों को गुणवत्तापूर्ण और विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के उद्देश्य को प्राप्त करने में उनकी मदद की जा सके। राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, देश के सभी गैर-विद्युतीकृत आबाद गांवों का दिनांक 28 अप्रैल, 2018 तक विद्युतीकरण कर दिया गया था। डीडीयूजीजेवाई के दौरान कुल 18,374 गांवों का विद्युतीकरण किया गया। डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत और उसके बाद सौभाग्य के दौरान, जैसा कि राज्यों द्वारा बताया गया है, सभी इच्छुक घरों का विद्युतीकरण पूरा कर लिया गया है। सौभाग्य के दौरान कुल 2.86 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया गया। दोनों स्कीमें दिनांक 31.03.2022 को बंद हो चुकी हैं।

भारत सरकार जुलाई, 2021 में शुरू की गई संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) के अंतर्गत, छूटे हुए घरों के ग्रिड विद्युतीकरण के लिए राज्यों को और सहायता प्रदान कर रही है। इसमें पीएम-जनमन (प्रधानमंत्री जनजातीय न्याय महाअभियान) के अंतर्गत चिह्नित विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) के घरों,

डीए-जेजीयूए (धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान) के अंतर्गत जनजातीय घरों, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय) के अंतर्गत अनुसूचित जाति के घरों और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (वीवीपी) के अंतर्गत दूरस्थ एवं सीमावर्ती घरों का ऑन-ग्रिड विद्युतीकरण शामिल है, जहाँ भी व्यवहार्य हो। अब तक, आरडीएसएस के अंतर्गत 13.59 लाख घरों के विद्युतीकरण के लिए 6,487 करोड़ रुपये के कार्य संस्वीकृत किए जा चुके हैं। इसके अलावा, नई सौर ऊर्जा स्कीम के अंतर्गत, दिनांक 30 जून 2025 तक 9961 घरों के लिए ऑफ-ग्रिड सौर आधारित विद्युतीकरण के लिए लगभग 50 करोड़ रुपये के कार्य संस्वीकृत किए गए हैं।

(ग) : नवीकरणीय ऊर्जा के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित प्रमुख पहल की गई हैं:

i. वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28 तक एसईसीआई, एनएचपीसी और एनटीपीसी जैसी एजेंसियों द्वारा 50 गीगावाट/वर्ष नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत की खरीद बोली।
ii. विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) शुल्क माफ करना।
iii. नामित उपभोक्ताओं द्वारा नवीकरणीय क्रय दायित्व (आरपीओ) और नवीकरणीय उपभोग दायित्व (आरसीओ) का अनुपालन।
iv. निवेश आकर्षित करने के लिए एक परियोजना विकास प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है और विभिन्न ग्रिड-कनेक्टेड नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए मानक बोली दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।
v. नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए स्कीमें जैसे पीएम-कुसुम (प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान अभियान), पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल पर राष्ट्रीय कार्यक्रम, सौर पार्कों और अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजनाओं का विकास आदि।
vi. "पवन विद्युत परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय पुनर्शक्तिकरण और जीवन विस्तार नीति, 2023" जारी की गई है।
vii. अपतटीय पवन ऊर्जा के लिए, "अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना हेतु रणनीति" में वर्ष 2030 तक 37 गीगावाट की बोली प्रक्रिया की ट्रेजेक्टरी प्रस्तुत की गई है।
viii. सौर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल और इनवर्टर के लिए मानक एवं लेबलिंग (एस एंड एल) कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।
ix. एक्सचेंजों के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत विक्रय के लिए ग्रीन टर्म अहेड मार्केट और ग्रीन डे अहेड मार्केट (जीटीएएम) शुरू किए गए हैं।

(घ) : आरडीएसएस के अंतर्गत, स्मार्ट मीटरिंग सहित 2.82 लाख करोड़ रुपये के वितरण अवसंरचना कार्यों को संस्वीकृति दी गई है। इसमें सब-स्टेशनों और वितरण ट्रांसफार्मरों का उन्नयन/संवर्द्धन, कंडक्टरों का उन्नयन, मिश्रित-लोड फीडरों का पृथक्करण, आईटी/ओटी कार्य आदि जैसे हानि न्यूनीकरण कार्य और स्मार्ट मीटरिंग कार्य शामिल हैं जो तकनीकी और वाणिज्यिक हानियों को कम करने में मदद करेंगे। इसके अलावा, इस स्कीम के अंतर्गत धनराशि जारी करना एटीएंडसी (समग्र तकनीकी और वाणिज्यिक) हानियों में कमी सहित विभिन्न अन्य मानकों पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के निष्पादन पर निर्भर करता है। अब तक संस्वीकृत अवसंरचना कार्यों का लगभग 30% और संस्वीकृत स्मार्ट मीटरिंग कार्यों का लगभग 12% पूरा हो चुका है।

केंद्र और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सामूहिक प्रयायों और आरडीएसएस और विभिन्न अन्य स्कीमों के अंतर्गत किए गए सुधार उपायों से, वितरण यूटिलिटी की एटीएंडसी हानियां वित्त वर्ष 2021 में 21.91% से घटकर वित्त वर्ष 2024 में 16.12% हो गयी है।

****